सीबी-।।(जेसीओपी) सं. 1

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

पहला प्रतिवेदन

30.7.; 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

30.7.; 2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जुलाई, 2021/ श्रावण, 1943(शक)

मूल्य: .....

विषय-सूची

पृष्ठ

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (iv)

प्रतिवेदन

राज्य सभा सदस्य का राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एनकेवीआईबी) में चुनाव 1

परिशिष्ट

I. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की बुधवार, 19 नवम्बर, 2020 को हुई पांचवीं बैठक की कार्यवाही सारांश का सार 40

II. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की सोमवार, 15 मार्च, 2021 को हुई छठी बैठक की कार्यवाही सारांश का सार 43

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

(सत्रहवीं लोक सभा)

डॉ. सत्य पाल सिंह –*सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बैन्नी बेहनन
3. श्री विनोद लखमशी चावड़ा
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. डॉ. मनोज राजोरिया
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
8. श्री तेजस्वी सूर्या
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
10. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

11. डॉ. सस्मित पात्रा
12. श्री महेश पोद्दार
13. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
14. सुश्री दोला सेन
15. श्री हरद्वार दुबे*

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
3.	श्री राज कुमार चौधरी	-	**अवर सचिव**
4.	श्री कुंदन कुमार	-	कार्यकारी अधिकारी

---

* राज्य सभा समाचार भाग-II दिनांक 12.02.2021 (पैरा सं. 60610) के तहत श्री के. केशव राव के कार्यकाल की समाप्ति पर समिति का सदस्य मनोनीत ।

प्राक्कथन

मैं, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर समिति की ओर से समिति का यह पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस बात पर यह विचार करने हेतु कि समिति ने 19 नवम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की कार्यवधि, संरचना, प्रकृति, कृत्यों आदि की इस दृष्टि से जांच की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत 'लाभ के पद'की दृष्टि से राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एनकेवीआईबी) में राज्य सभा के किसी सदस्य का चयन हो जाने पर क्या वह संसद सदस्य बने रहने से निरर्हित होगा।

3. समिति ने सोमवार, 15 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार कर इसे स्वीकार करलिया है।

4. समिति इसमें शामिल मुद्दों की व्यापक जांच हेतु समिति द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) को धन्यवाद देती है।

5. समिति द्वारा विचारित विषय के संबंध में उसके द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को इस प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में दिया गया है।

नई दिल्ली,
24 मार्च 2021
03 चैत्र, 1943 (शक)

डॉ. सत्यपाल सिंह
सभापति
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

राज्य सभा के सदस्य का राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (एनकेवीआईबी) के लिए निर्वाचन

राज्य सभा सचिवालय ने इस मुद्दे पर कि क्या संसद सदस्यों की राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (इसके बाद एनकेवीआईबी या बोर्ड कहा गया है) में सदस्यता को 'लाभ का पद' के दृष्टिकोण से निरर्ह ठहराया जाएगा, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के विचार, अनुमोदन और सिफारिशों की मांग की है।

2. 7वीं लोकसभा (1980-1984) के दौरान, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जांच की और 11 अगस्त, 1982 को चौथी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्षपद, जिसमें आयोग की सदस्यता भी शामिल है, को निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तथापि, यह मामला खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत गठित बोर्ड की सदस्यता से संबंधित है।

3. वर्तमान मामले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री ने बोर्ड में राज्यसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए महासचिव, राज्य सभा को संबोधित प्रस्ताव-सूचना दी थी **(अनुबंध - एक)**, जिसके बाद समिति समन्वय शाखा (राज्यसभा सचिवालय) ने इसे संबंधित कागजात के साथ इस मामले को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखने के लिए आगे इस सचिवालय को भेजा है।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) में उपबंध है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।

विभिन्न न्यायालय निर्णयों के अनुसार, इस अनुच्छेद के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व यह हैं कि एक पद होना चाहिए, ऐसा पद 'लाभ' का पद होना चाहिए, यह पद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन होना चाहिए और ऐसा पद संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा इस उप-खंड के लागू होने से बाहर नहीं किया गया होना चाहिए।

5. संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसरण में, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (**अनुबंध - दो**) अधिनियमित किया गया था, जो यह बताता है कि कौन-सा पद उसके धारक को संसद की सदस्यता से निरर्ह नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 3(झ) के अनुसार, यदि कोई सांविधिक या गैर-सांविधिक निकाय का अध्यक्ष या निदेशक या सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते के अलावा किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, तो वह संसद का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्ह नहीं होगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत "प्रतिकरात्मक भत्ता" से "धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद-सदस्य [संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन हकदार है), किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है" ।

6. अनुच्छेद 102(1) (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है" को कहीं भी सटीकता से परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, यह अवधारित करने हेतु कि सरकार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद लाभ का पद है, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने लोक सभा को 7 मई, 1984 को प्रस्तुत अपने दसवें प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा) **(अनुबंध-तीन)** में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत व्यक्त किया:-

इस प्रश्न की अवधारणा के लिए कि किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद लाभ का पद है, व्यापक मानदंड न्यायिक निर्णयों में निर्धारित किए गए हैं। यदि सरकार पद के लिए

नियुक्ति एवं पदच्युति तथा पद के कार्यनिष्पादन एवं कृत्यों पर नियंत्रण रखती है और यदि पारिश्रमिक या धन संबंधी लाभ, चाहे मूर्त या अमूर्त स्वरूप के हों, ऐसे पद से उद्भूत होते हैं और इसमें इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है कि पदधारण करने वाला व्यक्ति तत्समय वास्तव में ऐसे पारिश्रमिक या लाभ को प्राप्त करता है अथवा नहीं, ऐसे पद को सरकार के अंतर्गत लाभ का पद माना जाना चाहिए। अन्यथा, संविधान में यथा परिकल्पित निरर्हता के अधिरोपण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। पहला मूल सिद्धांत विधायिका के किसी सदस्य को पद देने में मार्गदर्शी कारक होना चाहिए।

7. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति इस प्रश्न कि कौन से पद किसी व्यक्ति को संसद सदस्य चुने जाने के लिए, और संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित करेंगे और किसी व्यक्ति को निरर्हित नहीं करेंगे, का निर्णय करने के लिए समितियों, आयोगों, आदि के परीक्षण के लिए निम्नलिखित मानदण्ड का पालन करती रही है :-

(एक) क्या सरकार पद के लिए नियुक्ति और पद से हटाए जाने एवं पद के कार्यनिष्पादन तथा कृत्यों पर नियंत्रण रखती है;

(दो) क्या पदधारक को संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में उल्लिखित 'प्रतिकरात्मक भत्तों' के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक जैसे बैठक शुल्क, मानदेय,वेतन,आदि मिलता है;
[इस प्रकार से सिद्धांत यह है कि यदि कोई सदस्य किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से अधिक नहीं ले रहा है और उसे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है तो यह निरर्हता के रूप में कार्य नहीं करेगा।]

(तीन)क्या निकाय, जिसमें वह पद है, कार्यकारी, विधायी या न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है अथवा निधियों के वितरण, भूमि आबंटन, लाइसेंस जारी करने आदि जैसी शक्तियां प्रदान करता है अथवा नियुक्ति, छात्रवृत्तियां देने आदि की शक्ति प्रदान करता है; और

(चार) क्या निकाय जिसमें वह पद है, पद धारक को संरक्षण द्वारा प्रभाव डालने अथवा शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

यदि उपर्युक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड का जवाब हाँ में है तो प्रश्नगत पद अनर्ह माना जाएगा।"

8. एनकेवीआईबी खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। बोर्ड के गठन और कार्यकरण के बारे में, अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट है कि, -

आयोग को इस अधिनयम के अधीन अपने कृत्यों के निवर्हन में सहायता देने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड गठित कर सकेगी जो राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कहलाएगा और जिसमें एक अध्यक्ष तथा इतने अन्य सदस्य होंगे जितने केंद्रीय सरकार ठीक समझे और जो ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग के विकास से संबंधित विषय में अनुभव तथा दर्शित क्षमता रखते हुए अर्ह हों। अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निवर्हन के संबंध में मामूली तौर पर बोर्ड से परामर्श करेगा।

9. खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 (इसके बाद के नियम) अधिनियम, 1956 की धारा 26 के तहत बनाए गए हैं। इस नियम के नियम 15 राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और इसके गठन के लिए प्रावधान करता है और निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड के, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन संसद सदस्य होंगे, जिनमें दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से होंगे। नियमों के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं **(अनुबंध - चार)** ।

नियम 17 के अनुसार, *आयोग के सदस्य के अलावा बोर्ड का सदस्य, अन्य अधिकारी तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि राजपत्र में प्रकाशित उसकी नियुक्ति की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।* केंद्र सरकार नियम 17 (2) में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं के लिए बोर्ड के ऐसे किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी।

इस नियम का नियम 21(3) संसद या राज्य विधानसभाओं के किसी सदस्य को निरर्हता से बचाता है जैसाकि इसमें उपबंध है कि, -

उप-नियमों (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का सदस्य जो संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य भी है, प्रतिकरात्मक भत्ते के अलावा किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जैसा कि संसद (निरर्हता निवारण)अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित है या, जैसा भी मामला हो, भत्ते के अलावा, यदि कोई हो, जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता के निवारण के संबंध में राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत, ऐसी निरर्हता को प्राप्त किए बिना प्राप्त करता है।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की टिप्पणियां **(अनुबंध - पांच)** प्रदान की हैं, जिनकी उन्होंने इस मामले में मांग की थी, जिसके सुसंगत भाग निम्नानुसार हैं:-

"13 .....यद्यपि अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आयोग की संरचना में यह विशेष रूप से बताया नहीं गया है कि संसद सदस्य आयोग का हिस्सा हैं, तथापि, उक्त धारा के और आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और भत्ते प्रदान करने वाले नियम के नियम 6 (4) के एक साथ पठन से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है और उक्त मामले में भी, वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित भत्ते के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

14. यद्यपि, संसद सदस्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो सकता है और अधिनियम के कार्यान्वयन, वित्तीय सहायता प्रदान करने और धन के संवितरण जैसे कार्य कर सकते हैं, जो सरकार की ओर से निष्पादित कार्यकारी कार्य प्रतीत होते हैं

और इस प्रकार कोई 'पद' धारण करता प्रतीत होता है, फिर भी भत्ते के मुद्दे और 'लाभ का पद' के संबंध में, नियम के नियम 6 (4) में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे न तो संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित निःशुल्क आवास के हकदार होंगे और न ही प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक के हकदार होंगे। यह इंगित किया जा सकता है कि विभाग ने संसद सदस्यों को बोर्ड के सदस्य के रूप में दिए मौद्रिक लाभ या सुविधाओं के संबंध में, नियम के नियम 21 (3) पर ध्यान आकर्षित करने के अलावा, कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। इस प्रकार, भले ही संसद सदस्य वर्तमान मामले में कोई 'पद' धारण कर रहे हों, परंतु बोर्ड या आयोग के किसी सदस्य को देय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) के अनुसार संसद सदस्यों के लिए अनुमेय भत्ते ही हैं। ऐसे सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में किसी अन्य जानकारी के अभाव में, 'लाभ' या 'मौद्रिक लाभ' का घटक वर्तमान मामले में अनुपस्थित प्रतीत होता है।

15. इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसरण में, संसद ने, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 को अधिनियमित किया, जिसमें लाभ के कतिपय पदों को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्ह ठहराए जाने से छूट दी गई है। संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3(झ) के अनुसार, खण्ड (ज) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी कानूनी अथवा अकानूनी निकाय का अध्यक्ष अथवा निदेशक अथवा सदस्य का पद संसद सदस्य होने से निरर्ह नहीं है यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उक्त धारा का अवलंब लिए जाने की आवश्यकता नहीं हो सकेगी क्योंकि वर्तमान मामले में 'पद' कोई 'लाभ का पद'' प्रतीत नहीं होता।

16. उपर्युक्त को देखते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर कि सदस्यों को केवल अनुज्ञेय प्रतिकरात्मक भत्ते का हकदार माना जा रहा है, <u>हमारा विचार है कि संसद के सदस्यों का राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए निर्वाचन</u>

'लाभ का पद' नहीं माना जा सकता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के संदर्भ में है इसे निरर्ह नहीं ठहराया जा सकता।''

11. विधि विभाग ने अपने पत्र संख्या 17(4)/2020-लेजि.III दिनांक 14 अक्तूबर (अनुबंध-छह) के द्वारा अपनी राय निम्नानुसार प्रस्तुत की है: -

"4. खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 की जाँच करने पर, यह देखा गया है कि धारा 11 में यह प्रावधान है कि आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में साधारणत: बोर्ड से परामर्श करेगा। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 6 के उप-नियम (4) के अनुसार, संसद सदस्य संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित भत्ते से भिन्न किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

5. इस प्रकार, लोक सभा सचिवालय द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराए गए कागजात और अधिनियम, 1956 के मौजूदा प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में नामित संसद सदस्य अधिनियम, 1959 के खंड (क) में परिभाषित प्रतिपूरक भत्तों के अलावा किसी भी पारिश्रमिक को प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है।

6. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह विभाग विधि विभाग द्वारा प्रस्तुत राय से सहमत है कि राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में नामांकित संसद सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के संदर्भ में निरर्ह नहीं होगा।"

12. इस संबंध में, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को गुरुवार, 19 नवंबर, 2020 मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया। साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नानुसार बताया:-

"खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को खादी और ग्रामोद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ और अन्य विषयों के संबंध में वर्ष 1956 में बनाया गया था। इस संबंध में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, और केंद्र सरकार को भी अधिनियम की धारा 10 के तहत सशक्त बनाया गया है, ताकि आयोग को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए खादी ग्राम बोर्ड का गठन किया जा सके। इसका अर्थ है, यह अनिवार्य नहीं है कि बोर्ड हमेशा सहायता प्रदान करेगा। जब कभी आवश्यक होगा, आयोग बोर्ड की मदद लेगा, और ऐसे मामलों में, बोर्ड आयोग को अपनी सहायता प्रदान करेगा। बोर्ड के इन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 21 (3) में स्पष्ट रूप से व्यक्त है कि वे 1959 के अधिनियम की धारा 2 के तहत निर्धारित प्रतिकरात्मक भत्ते से अधिक भत्ते के हकदार नहीं हैं।

··· हालाँकि बोर्ड के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नामित किया जाता है, यह सरकार के अंतर्गत पद है इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे पद पर किसी भी तरह का मौद्रिक लाभ नहीं होता। उन्हें जो भी राशि मिल रही है, वह 1959 के अधिनियम की धारा 2(क) के तहत यथा परिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते की अनुमेय सीमा के भीतर है। चूंकि कोई आर्थिक लाभ नहीं है और चूंकि उस पद से कोई लाभ जुड़ा नहीं है, इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत लाभ के पद नहीं हैं।"

मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने आगे बताया:

"प्रथम दृष्टया, निरर्हता निवारण अधिनियम, 1959 यह उपबंध करता है, पद निश्चित रूप से होगा। प्रश्न यह है कि किन कार्यालयों को छूट दी गई है। इसलिए, संसद निरर्हता निवारण अधिनियम की धारा 3 (झ) का संदर्भ आता है, जिसके भीतर यह पद आएगा। इसलिए, निश्चित रूप से, यदि इस पद को छूट दी गई है, तो अनुच्छेद 102 के तहत यथावश्यक कोई मौद्रिक लाभ नहीं है, इसलिए इस पर संविधान के

अनुच्छेद 102 के तहत उपबंधिक निरर्हता लागू नहीं होगी। इसलिए, हमने इस संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या इस बोर्ड का संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में कहीं उल्लेख हुआ है या नहीं, मंत्रालय ने बताया, -

"महोदय, इस बोर्ड का विशेष रूप से उल्लेख नहीं हुआ हो सकता है, लेकिन हमें जो देखना है वह मंशा है। इसलिए, यदि हम धारा 3 (झ) देखते हैं, तो कुछ पदों का उल्लेख अनुसूची के भाग I और भाग II में किया गया है, जो कि खंड 3 के संदर्भ में है। लेकिन इसके बाद, अन्य खंड हैं, जिनमें व्यापक मानदंड हैं कि लाभ के पद क्या हैं, लेकिन सम्मिलित नहीं हो सकते। तत्पश्चात, हमें इस मापदंड पर इसका परीक्षण करना होगा कि क्या कोई ऐसे मौद्रिक लाभ हैं या किसी मौद्रिक लाभ की संभावना है जिनके कारण ये पद उन निरर्हता मापदंडों के भीतर आते या नहीं आते हैं। इसलिए, धारा 3 (ज), लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या जांच करने के बारे में अस्थायी रूप से बनाई गई, चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के बारे में बताती है।

यदि हम धारा 3 (झ) देखते हैं, तो यह बताती है कि किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट हैं, से भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। किन्तु इसमें अनुसूची के भाग 1 और अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट पद इसमें सम्मिलित नहीं हैं। लेकिन व्यापक मापदंड यह होगा कि यदि यह कानूनी या अकानूनी प्राधिकारी है, जिसमें शासी पक्ष यह होगा कि क्या कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार है या नहीं।

अतः, संबंधित अधिनियम, इस राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 में नियमों के साथ जो मापदंड उपबंधित किए गए हैं, उस स्थिति में, अनुच्छेद 102 के उपबंध इस मामले विशेष पर लागू नहीं होंगे।"

13. अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाए गए मापदंडों के मुद्दे पर, जैसा कि डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा बताया गया, कि वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के मापदंडों के खिलाफ हैं या खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के मापदंडों के खिलाफ हैं, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि, -

> *"महोदय, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक कानूनी निकाय है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। अतः, अधिनियम के प्रावधानों को उन नियमों के साथ ध्यान में रखा गया है जो उनके अंतर्गत* बनाए गए। यह अति विस्तृत और व्यापक राय है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

14. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक कानूनी निकाय है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 अधिनियम की धारा 26 के तहत बनाए गए हैं। नियमों के नियम 15 में राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और उसके गठन का उपबंध किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि बोर्ड में अन्य के साथ-साथ तीन संसद सदस्य होंगे जिसमें से, दो सदस्य लोकसभा से और एक राज्यसभा से होगा। नियम 17 में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयोग के सदस्यों के अलावा बोर्ड के सदस्य के कार्यकाल, उनकी पुनर्नियुक्ति और उनके हटाने का उपबंध किया गया है। नियम 21 (3) संसद सदस्य या राज्य विधानसभाओं के किसी सदस्य को निरर्हित होने से बचाता है क्योंकि इसमें विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड का सदस्य जो संसद सदस्य या राज्य के विधानमंडल का सदस्य है, प्रतिकरात्मक भत्ते के अलावा किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जैसाकि संसद (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित किया गया है ।

15. विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) द्वारा व्यक्त की गई राय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि भले ही संसद सदस्य वर्तमान मामले में 'पद' धारण कर रहे हों, जैसाकि बोर्ड या आयोग के सदस्य को देय भत्ते वही होंगे जो संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) के अनुसार संसद सदस्यों के लिए हैं। ऐसे सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में किसी अन्य सूचना के अभाव में 'लाभ' या 'मौद्रिक लाभ' वर्तमान मामले में अनुपस्थित प्रतीत होते हैं। समिति इस मत को नोट करती है कि धारा 3(i) का अवलंब लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में 'पद' 'लाभ का पद' प्रतीत नहीं होता। चूँकि सदस्य केवल अनुमेय प्रतिकरात्मक भत्ते के हकदार हैं, इसलिए राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए संसद सदस्यों के निर्वाचन को 'लाभ का पद' नहीं माना जा सकता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के संदर्भ में उसे निरर्हित नहीं माना जा सकता।

16. विधि विभाग द्वारा व्यक्त विचारों के अनुसार, अधिनियम, 1956 के मौजूदा प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में नामित संसद सदस्य, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड(क) में यथापरिभाषित भत्ते के अलावा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है। इसलिए, विभाग विधि विभाग की इस राय से सहमत है कि राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए नामित किया जा रहा संसद सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के संदर्भ में निरर्हित नहीं हो सकता।

17. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और मौखिक सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श के बाद, समिति यह पाती है कि बोर्ड की सदस्यता संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 (झ) के संदर्भ में लाभ के पद के दृष्टिकोण से निरर्हित नहीं होगी, जैसा कि बोर्ड के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए नियम अधिनियम,1959 की धारा 2 (क) में सदस्य को यथापरिभाषित और व्यक्त प्रतिकरात्मक भत्ते के अलावा किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्रदान करके निरर्हता से छूट प्रदान किए जाने का विशेष रूप से उपबंध किया गया है। इस प्रकार, समिति को राज्य सभा सदस्य को बोर्ड में नामित किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

नई दिल्ली :
15 मार्च, 2021
२४ फाल्गुन, १९४२ (शक)

डॉ सत्य पाल सिंह
अध्यक्ष
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

नितिन गडकरी
NITIN GADKARI

सत्यमेव जयते

Diary No. 678 अनुभाग-I
Date 07.10.2019

मंत्री
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
भारत सरकार
Minister
Road, Transport & Highways and
Micro, Small & Medium Enterprises
Government of India

DO. No. 6/6/2019-KVI (II)

03rd October, 2019

To

The Secretary, General,
Rajya Sabha Secretariat,
Parliament House,
New Delhi

Sub: - Election for nomination of Member of Parliament from Rajya Sabha on National Khadi and Village Industries Board (NKVIB).

Sir,

As per the provisions of Sub-Section 1 of Section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (as amended on March, 2006) (copy enclosed) read with Rule 15 of Khadi and Village Industries Rule, 2006, three Members of Parliament of whom two shall be elected by the House of People and one by the Council of States are to be included as Member of the National Khadi and Village Industries Board to represent the House. Sub-Rule 1 of Rule 17 of the Khadi and Village Industries Commission Rule, 2006 provides that "a member of the Board, other than a member of the Commission shall hold office for such period not exceeding three years as may be specified in the notification of his appointment published in the Official Gazette and shall be eligible for re-appointment".

In accordance with the provisions of KVIC Act, 1956 and Rules thereon, none of the Member of House was elected as member of the Board as notified vide Gazette of India Notification No. S.O. 1868 (E) dated 24th May, 2016 (copy enclosed). In accordance with the provisions of KVIC Act, 1956 and Rules thereon the term of membership of the Hon'ble Members has been completed on 23.05.2019.

For this purpose, I hereby give a notice of my intention to move the following Motion in the House during the ensuing session:

"That in pursuance of Section 10 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (as amended from time to time) read with Rule 15 of Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 (as amended from time to time), this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct, two Members from amongst the Members of House, to be Members of the National Khadi and Village Industries Board for a term of three years or till the next Board is constituted or till the Member ceases to be a Member of Parliament, whichever is earlier".

राज्य सभा सचिवालय (समन्वय) राज्य सभा सचिवालय
2533
डायरी सं./दिनांक
Dy. No./Date
7/10/19

Yours faithfully,

(Nitin Gadkari)

Encl.: As above

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1283] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938
No. 1283] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

का.आ. 1868(अ).– केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्यों को मिलाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन करती है, अर्थात्:–

क्र.सं.	नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	नियुक्ति की अवधि
1	भारसाधक मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	अध्यक्ष	पदेन
2	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई	सदस्य	पदेन
3	आयोग का एक आंचलिक सदस्य– छमाही क्रमावर्ती	सदस्य	रिक्त
4	आयोग का एक विशेष सदस्य– छमाही क्रमावर्ती	सदस्य	रिक्त
5	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
6	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार से नीचे की पंक्ति का न हो, कृषि भवन नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
7	सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार या उनका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव, से नीचे की पंक्ति का न हो, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन

8	सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय क्षेत्र का कार्य देखने वाले आर्थिक कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
9	विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
10	सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्यम), नीति आयोग, संसद मार्ग नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
11	हथकरघा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
12	हस्तशिल्प विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी ब्लॉक–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
13	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य	पदेन
14	महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
15	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), 10/10, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।	सदस्य	पदेन
16	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या उनका नामनिर्देशिती, जो कार्यकारी निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, स्टीर्लिंग सेंटर, प्रथम मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई।	सदस्य	पदेन
17	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक या उनका नामनिर्देशिती, जो उप प्रबंध निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मैंडम कामा रोड, मुम्बई।	सदस्य	पदेन
18	महानिदेशक, पब्लिक एक्शन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, इंडिया हेबिटेट सेंटर, जोन–5 (कोर–सी), द्वितीय मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
19	भारसाधक –, सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, राजस्थान प्रदेश सरकार उत्तरी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
20	भार साधक – सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, त्रिपुरा प्रदेश सरकार उत्तर पूर्वी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
21	भार साधक – सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, उत्तरांचल प्रदेश सरकार मध्य अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
22	भार साधक–सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, ओडिशा प्रदेश सरकार पूर्वी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
23	भार साधक – सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, गुजरात प्रदेश सरकार पश्चिमी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
24	भार साधक – सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, तेलंगाना प्रदेश सरकार दक्षिणी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
25	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जम्मू और कश्मीर उत्तरी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
26	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, असम सरकार उत्तर पूर्व अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
27	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ मध्य अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
28	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अंडमान और निकोबार पूर्वी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष

29	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, महाराष्ट्र पश्चिमी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
30	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, आंध्र प्रदेश दक्षिणी अंचल का प्रतिनिधित्व।	सदस्य	एक वर्ष
31	श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)।	सदस्य	3 वर्ष अथवा 16वीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो
32	श्री शिवाजी अधलराव पाटिल, संसद सदस्य (लोक सभा)।	सदस्य	3 वर्ष अथवा 16वीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो
33	रिक्त		
34	रिक्त		
35	रिक्त		
36	रिक्त		
37	रिक्त		
38	रिक्त		
39	रिक्त		
40	रिक्त		
41	रिक्त		
42	रिक्त		
43	रिक्त		
44	रिक्त		
45	रिक्त		
46	रिक्त		
47	रिक्त		
48	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
49	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य	पदेन
50	वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई।	सदस्य	पदेन
51	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई।	सदस्य–सचिव	पदेन

[फा. सं. 6(6)/2013—केवीआई—II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

S.O. 1868(E).— In exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rules 15 and 17 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes the National Khadi and Village Industries Board, consisting of the following Chairman and other members, for a period shown against their names, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:—

Sr. No.	Name/designation	Chairman/ Member	Period of appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Minister, in-charge of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Udyog Bhawan	Chairman	*ex officio*;
2.	Chairman, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai	Member	*ex officio*;
3.	One zonal member of the Commission- by bi-annual rotation	Member	*vacant*
4.	One expert member of the Commission-by bi-annual rotation	Member	*vacant*
5.	Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
6.	Secretary to the Government of India in the Ministry of Rural Development, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
7.	Secretary to the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Anusandhan Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
8.	Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs dealing with financial sector, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, New Delhi	Member	*ex officio*;
9.	Development Commissioner for Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
10.	Adviser (Village and Small Enterprises) in the National Institute of Transforming India Aayog, Sansad Marg, New Delhi	Member	*ex officio*;
11.	Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
12.	Development Commissioner for Handicraft, Ministry of Textiles, Government of India, West Block 7, R.K. Puram, New Delhi	Member	*ex officio*;
13.	Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad	Member	*ex officio*;
14.	Director General, National Institute of Fashion Technology, New Delhi	Member	*ex officio*;
15.	Chairman and Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), 10/10, Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow	Member	*ex officio*;

-86- -17-

16.	Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development or his nominee not below the rank of Executive Director, Sterling Center, 1st Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai	Member	*ex officio*;
17.	Chairman, State Bank of India or his nominee not below the rank of a Deputy Managing Director, New Administrative Building, Madam Cama Road, Mumbai	Member	*ex officio*;
18.	Director General, Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology, India Habitat Center, Zone-5, (Core-C), 2nd Floor, Lodhi Road, New Delhi	Member	*ex officio*;
19.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of the State Government of Rajasthan representing Northern Zone	Member	one year;
20.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Tripura representing North-Eastern Zone	Member	one year;
21.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Uttaranchal representing Central Zone	Member	one year;
22.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Odisha representing Eastern Zone	Member	one year;
23.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Gujarat representing Western Zone	Member	one year;
24.	Secretary in-charge of Khadi and Village Industries of State Government of Telangana representing Southern Zone	Member	one year;
25.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Jammu and Kashmir representing Northern Zone	Member	one year;
26.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Assam representing North-Eastern Zone	Member	one year;
27.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Chhatisgarh representing Central Zone	Member	one year;
28.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Andaman and Nicobar representing Eastern Zone	Member	one year;
29.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Maharashtra representing Western Zone	Member	one year;
30.	Chairperson, Khadi and Village Industries Board, Andhra Pradesh representing Southern Zone	Member	one year;
31.	Shri Arjun Ram Meghwal, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member	three years or till the expiry of the term of Sixteenth Lok Sabha, whichever is earlier;
32.	Shri Shivaji Adhalrao Patil, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member	three years or till the expiry of the term of Sixteenth Lok Sabha, whichever is earlier;
33.	Vacant		
34.	Vacant		
35.	Vacant		
36.	vacant		
37.	Vacant		
38.	Vacant		
39.	Vacant		
40.	Vacant		
41.	Vacant		
42.	Vacant		
43.	Vacant		
44.	Vacant		

45.	Vacant		
46.	Vacant		
47.	Vacant		
48.	Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
49.	Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi	Member	*ex officio*;
50.	Financial Adviser, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai	Member	*ex officio*;
51.	Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai	Member-Secretary	*ex officio*.

[F. No. 6(6)/2013-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुबंध - II

भाग 4

निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि

संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 10

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न करेंगे,

[4 अप्रैल, 1959]

अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद् सदस्य, [1][संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन हकदार है], किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ;

(ख) "कानूनी निकाय" से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ग) "अकानूनी निकाय" से ऐसे व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ।

3. **कतिपय लाभ के पद पर निरर्हित न करेंगे**—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :—

(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद ;

[2][(कक) संसद् में विपक्षी नेता का पद ;]

[3][(कख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद ;]

[4][(कग) संसद् के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के [5][प्रत्येक नेता और प्रत्येक उपनेता] का पद ;]

[6][(कघ) भारत सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय में आदेश सं0 631/2/1/2004-मंत्रिमंडल, तारीख 31 मई, 2004 द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का पद ;]

(ख) संसद् में मुख्य सचेतक, उपमुख्य सचेतक या सचेतक का पद या संसदीय सचिव का पद ;

[7][(खक) निम्नलिखित के अध्यक्ष का पद—]

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ;

[8][(ii) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ;

(iiक) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित-जनजाति आयोग ;]

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग ;]

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), टैरीटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 (1948 का 56) या रिजर्व एण्ड आग्जिलरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित या बनाए रखे गए किसी बल के सदस्य का पद ;

(घ) किसी राज्य में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद ;

(ङ) मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास के नगर में शेरिफ का पद ;

---

[1] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 2 द्वारा (27-8-1993 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं0 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अन्तःस्थापित ।

[3] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1993 से) अन्तःस्थापित ।

[4] 1999 के अधिनियम सं0 5 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[5] 2000 के अधिनियम सं0 18 की धारा 5 द्वारा (7-6-2000 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 2006 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा (18-6-2006 से) अन्तःस्थापित ।

[7] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) अन्तःस्थापित ।

[8] 2013 के अधिनियम सं0 28 की धारा 2 द्वारा (19-2-2004 से) खंड (खक) के उपखंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की सिंडीकेट, सिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद् या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रत्यायोग या मिशन के सदस्य का पद ;

(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की जांच करने या उसके बारे में सांख्यिकियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

[1][(झ)] किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद और (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद सम्मिलित नहीं है]

(ञ) चाहे लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से कहे जाने वाला ऐसे ग्राम राजस्व आफिसर का पद जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिसको पारिश्रमिक उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है, किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करता ;

[2][(ट) सारणी में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ठ) किसी न्यास के, चाहे वह लोक न्यास हो या प्राइवेट, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, अध्यक्ष या न्यासी का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ड) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय के, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद ;

[3][स्पष्टीकरण 1]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए [4][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव] के पद के अन्तर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा चाहे वह किसी भी नाम से कहा जाए ।

[5][स्पष्टीकरण 2—खंड (कक) में "नेता" पद का वही अर्थ होगा जो उसका संसद् में विपक्षी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) में है].

[6][स्पष्टीकरण 3—खंड (कग) में, "मान्यताप्राप्त दल" और "मान्यताप्राप्त समूह" पद के वही अर्थ हैं जो संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में हैं ।]

4. कतिपय दशाओं में निरर्हता का अस्थायी निलम्बन—यदि संसद् सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व ऐसा लाभ का पद धारण करता था जिसे इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया गया था, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के कारण ऐसे निरर्हित हो जाता है तो ऐसा पद उसको संसद्-सदस्य रहने के लिए निरर्हित न करेगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की कालावधि से आगे विस्तृत न होने वाली किसी कालावधि के लिए धृत है ।

5. निरसन—पार्लियामेंट (प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1950 (1950 का 19), पार्लियामेंट प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 68), प्रिवेंशन आफ डिस्कवालिफिकेशन ऐक्ट, 1953 (1954 का 1) और किसी अन्य अधिनियमिति में का कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत है, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1973 से) खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 31 की धारा 12 द्वारा (4-4-1959 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया गया ।
[4] 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1977 के अधिनियम सं० 33 की की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अंतःस्थापित ।
[6] 1999 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

अनुसूची

[धारा 3(झ) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल ।

एक्सपोर्ट रिस्क्स इंश्योरेंस कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान केबल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान मशीन टूल्स [1]***लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

[2][हिंदुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड] का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल [3][इंडस्ट्रीयल] डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवपलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ।

कोल माइंस (कंजरवेशन एंड सेफ्टी) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोल बोर्ड ।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोल माइंस लेबर हाउसिंग बोर्ड ।

कलकत्ता के पत्तन के कमिश्नर ।

गांधीधाम नगर में भूमि के आबंटन के लिए समिति ।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कंपनी ला एडवाइजरी कमीशन ।

टेक्सटाइल फंड्स आर्डिनेंस, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित काटन टेक्सटाइल फंड कमेटी ।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई बाम्बे डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, बाम्बे ।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता ।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, मद्रास ।

फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित फारवर्ड मार्केट्स कमीशन ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ।

---

[1] 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(प्राइवेट)" शब्द और कोष्ठकों को लोप किया गया ।

[2] 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1960 का अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित लाइसेंसिंग कमेटी ।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित माइनिंग बोर्ड ।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित नेशनल को-ओपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड ।

रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ।

टैरिफ कमीशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टैरिफ कमीशन ।

बाम्बे के पत्तन के ट्रस्टीज ।

मद्रास के पत्तन के ट्रस्टीज ।

कलकत्ता, मुम्बई या मद्रास पत्तन से भिन्न, इंडियन पोर्ट्स् 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी महापत्तन के ट्रस्टीज या कमिश्नर ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट फंड कमेटी ।

को-आपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी ।

लाइव स्टाक परचेजिंग कमेटी ।

आसाम

आसाम अधियार्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऐक्ट, 1948 की धारा 2क के अधीन गठित अधि काउंसिलियेशन बोर्ड्स ।

आसाम इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित आसाम इवैकुई प्रापर्टी मैनेजमेंट कमेटी ।

आसाम टेक्स्ट बुक कमेटी ।

बिहार

माइनिंग बोर्ड फार कोल माइंस ।

टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल लिट्रेचर कमेटी ।

मुम्बई

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (एलोपैथिक) ।

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (आयुर्वेदिक) ।

नरसिंगगिरिजी मिल्स, शोलापुर के कारबार और कामकाज के-सर्वोपरि पर्यवेक्षण के संचालन के लिए बोर्ड ।

बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंसल्टेटिव काउंसिल ।

एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंश स्कीम के अधीन मेडिकल सर्विस कमेटी ।

एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंश स्कीम के अधीन फार्मेस्यूटिकल कमेटी ।

*मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पुणे, राजकोट और थाणा के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1954 की धारा 3 के अधीन गठित सौराष्ट हाउसिंग बोर्ड ।

*मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

मध्य प्रदेश हाउसिंग ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड ।

---

* अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए ।

केरल

ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 8 के अधीन नियुक्त बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ।
ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 63 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।
ट्रावनकोर-कोचीन इकोनोगाइजर रूल्स, 1956 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ।
महाकौशल हाउसिंग बोर्ड ।

[1][तमिलनाडु]

एस0एस0एल0सी0 परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए पुस्तक चयन करने वाली कमेटी ।
छोटे पत्तनों के लिए लैडिंग एंड शिपिंग फीस कमेटीज ।
एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेंश (जनरल) रेगुलेशन्स, 1950 के विनियम 10क के अधीन गठित लोकल कमेटी ।
मद्रास बोर्ड आफ़ ट्रांसपोर्ट ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित [2][तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड] ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सलटेटिव काउंसिल ।
पोर्ट कंजरवेंसी बोर्ड्स ।
छोटे पत्तनों के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड्स ।
स्टेट बोर्ड आफ़ कम्युनिकेशन्स ।
टेक्स्ट बुक्स कमेटी ।

[3][कर्नाटक]

बोर्ड आफ़ मैनेजमेंट, मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती ।
बोर्ड आफ मैनेजमेंट आफ इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स ।

उड़ीसा

बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन के अधीन अपील कमेटी ।
उड़ीसा बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स एंड ट्रांसपोर्ट ।
[*]मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।
[*]मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

पंजाब

पंजाब स्टेट नेशनल वर्कर्स (रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन) बोर्ड ।

राजस्थान

सिटी आफ कोटा इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1946 के अधीन गठित सिटी एम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोटा ।
एक्साइज अपीलेट बोर्ड, अजमेर ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।
अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर ।

उत्तर प्रदेश

गवर्नमेंट सीमेंट फेक्ट्री बोर्ड ।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अधीन नियुक्त आगरा, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर के लिए स्थानीय समितियां ।
शिक्षा विस्तार विभाग के लिए पुस्तक चयन करने वाली उपसमिति ।
यू0पी0 शूगर एंड पावर अल्कोहल इंडस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड ऐक्ट, 1950 की धारा 10 के अधीन गठित यू0पी0 शूगर एंड पावर अल्कोहल एंड लेबर हाउसिंग बोर्ड ।

---

[1] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[*] अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तुल्यगत उपबंध देखिए ।

पश्चिमी बंगाल

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 45 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन गठित लाइसेंसिंग बोर्ड ।

वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1954 के अधीन गठित वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड ।

संघ राज्यक्षेत्रों में के निकाय

दिल्ली डेवलपमेंट ऐक्ट, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी ।

दिल्ली को यथा लागू बाम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट, 1946 की धारा 5 के अधीन गठित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।

सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऐक्ट, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित सेंट्रल सिल्क बोर्ड ।

काफी ऐक्ट, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड ।

क्वायर इंडस्ट्री ऐक्ट, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित क्वायर बोर्ड ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार एसिड्स एंड फर्टिलाइजर्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार अल्कलीज एंड अलाईड इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार बाइसिकिल्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार ड्रग्स, डाइस एंड इंटरमिडिएट्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार इन्टरनल कम्बश्चन एंजिन्स एंड पावर ड्रिवन पम्प्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार मशीन टूल्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार नान-फेरस मेटल्स इन्क्लूडिंग एलाइज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार आयल-बेस्ड एण्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार शूगर इंडस्ट्री ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ आर्टिफिशियल सिल्क इन्क्लूडिंग आर्टिफिशियल सिल्क यार्न ।

shed

0 of

46).

ras

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टेक्सटाइल्स मेड आफ वूल इन्क्लूडिंग वूलन यार्न, होजरी, कार्पेट्स एंड ड्रगट्स ।

दरगाह ख्वाजा साहिब ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह कमेटी, अजमेर ।

इंडियन सेंट्रल अरिकानट कमेटी ।

इंडियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी ।

इंडियन काटन सेल्स ऐक्ट, 1923 (1923 का 14) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी ।

इंडियन आयल सीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल आयल सीड्स कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल शूगरकेन कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी ।

इंडियन लेक सेस ऐक्ट, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन लेक सेस कमेटी ।

रबर ऐक्ट, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड ।

टी ऐक्ट, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित टी बोर्ड ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

1339 एफ0 के हैदराबाद एग्रिकल्चरल मार्केट ऐक्ट नं0 2 की धारा 4 के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

बिहार

बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिलिजिस ट्रस्ट्स ।

बिहार सुबाई मजलिस औकाफ ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 15 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल एडवाइजरी कमेटी ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ।

केरल

क्वायर परचेज स्कीम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 के धारा 4क के अधीन गठित मालाबार मार्केट कमेटी ।

टपीओका मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड ।

[1][तमिलनाडु]

मद्रास हिन्दू रिलिजस एंड चैरिटेबिल एंडाउमेण्ट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित हिन्दू रिलिजस एंड चैरिटेबल एंडाउमेण्ड्स के लिए एरिया कमेटी ।

वक्फ ऐक्ट, 1954 की धारा 9 के अधीन गठित मद्रास स्टेट वक्फ बोर्ड ।

पंजाब

पटियाला एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 2004 की धारा 3 के अधीन गठित स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ।

[2]* * * * * *

[3][सारणी

[धारा 3(ट) देखिए]

क्रम सं0	निकाय का नाम
1.	त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1966 के अधीन गठित निकाय ।
2.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउन्सिल ।
3.	इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल कमीशन, उत्तर प्रदेश ।

[1] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 4 द्वारा (19-7-1993 से) भाग 3 का लोप किया गया ।
[3] 2006 के अधिनियम सं0 31 की धारा 3 द्वारा (4-4-1959 से) अंतःस्थापित ।

1	2
4.	इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
5.	वेस्ट बेंगाल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
6.	वेस्ट बेंगाल स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
7.	वेस्ट बेंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
8.	श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
9.	हल्दिया डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
10.	वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित निकाय ।
11.	हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स, हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन गठित ।
12.	पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अधीन गठित निकाय ।
13.	स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बेंगाल ।
14.	पश्चिमी बंगाल राज्य हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के अधीन गठित ।
15.	आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
16.	वेस्ट बेंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
17.	वेस्ट बेंगाल हैंडलूम एण्ड पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
18.	वेस्ट बेंगाल खादी एण्ड क्विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ।
19.	सोसाइटी फार सेल्फ-इंप्लाइमेंट फार अरबन यूथ, वेस्ट बेंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 (1961 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
20.	तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् बोर्ड ।
21.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के अधीन गठित प्राधिकरण ।
22.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ।
23.	इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) ।
24.	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ।
25.	नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) ।
26.	आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरोविल प्रतिष्ठान ।
27.	नेशनल कमीशन आफ इन्टरप्राइजेज इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ।
28.	एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) ।
29.	दिल्ली रुरल डेवलपमेंट बोर्ड ।
30.	मौलाना आजाद एजुकेशन फांउडेशन ।
31.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।
32.	डा. अंबेडकर फांउडेशन ।
33.	बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित निकाय ।

1	2
34.	रिसर्च एण्ड इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर नॉन-अलाइंड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज ।
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री ।
36.	उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ।
37.	उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल को-आपरेटिव फेडरेशन ।
38.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ।
39.	नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इंडिया ।
40.	उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक ।
41.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
42.	इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ।
43.	बोर्ड आफ कन्ट्रोल —ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट आफॅ सोशल स्टडीज, पटना ।
44.	ऑल इंडिया काउंसिल फार स्पोर्ट्स ।
45.	हांवड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ।
46.	दलित सेना, 12, जनपथ, नई दिल्ली ।
47.	सोशल जस्टिस ट्रस्ट, 12 जनपथ, नई दिल्ली ।
48.	बहुजन फाउंडेशन (चेरिटेबल ट्रस्ट), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
49.	बहुजन प्रेरणा चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली ।
50.	केन्द्रीय वक्फ परिषद् वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 के अधीन स्थापित ।
51.	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एन एम एम एल)।
52.	जलियांवाला बाग स्मारक न्यास ।
53	भारत की हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित ।
54.	मल्लिकघाट फूलबाजार परिचालन कमेटी ।
55.	वेस्ट बेंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ।]

अनुबन्ध - III

CB-II No. 344

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

TENTH REPORT

(SEVENTH LOK SABHA)

ON

THE DRAFT PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 1983

Presented to Lok Sabha on 7th May, 1984

Laid in Rajya Sabha on 7th May, 1984

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

May, 1984/Vaisakha, 1906 (Saka)

Price : Rs. 5.20

purpose behind enacting the 1959 Act. So, with a view to make the provision workable, the task of defining the type of executive power, which was to disqualify a member, would have to be taken up. The law would also become very uncertain and would lead to an increase of election petitions. Same would be the case with legislative, Judicial and financial powers as in each case the exact type of such powers which would disqualify, had to be specified making the issue fairly cloudy. He also stated that the work of advice on the exemption of the nature of the office had been entrusted to the Joint Committee on Offices of Profit since a member was entitled to know before he had accepted an office as to whether acceptance of it would lead him to disqualification. With regard to the guidelines that a member would be disqualified if he held an office where he was in a position to wield influence or distribute patronage, the representatives of the Ministry maintained that the trend of judicial decisions had been to equate profit in terms of money or assess in terms of pecuniary gain. Mere patronage under Article 102 (1) (a) would not disqualify.

10.3 The Committee feel that the basic principle underlying the imposition of disqualification under articles 102 (1) (a) and 191 (1) (a) of the Constitution is that a member of the Legislature should not be indebted to Government by accepting an 'office of profit' under the Government and thus compromise his independence. The Legislature should be kept independent of the executive so that the members would be free to carry out fearlessly their duties to their electorate and not to be influenced by any consideration of personal gain. They should not run the risk of conflict between duty and self-interest.

10.4 The broad criteria for the determination of the question whether an office held by a person is an office of profit have been laid down in judicial pronouncements. If the Government exercises control over the appointment to and dismissal from the office, and over the performance and functions of the office and in case the remuneration or pecuniary gain, either tangible or intangible in nature, flows from such office irrespective of whether the holder for the time being actually receives such remuneration or gain or not, the office should be held to be an office of profit under the Government. Otherwise, the object of imposition of the disqualifications as envisaged in the Constitution will become frustrated. This first basic principle (para 10 3) should be the guiding factor in offering positions to a member of the Legislature.

10.5 Keeping the above position in view, the Joint Committee on Offices of Profit have been following the undernoted criteria to test the Committees, Commissions, etc. for deciding the question as to which of the offices

अनुबंध - IV

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the _____ August 2006

G.S.R. - In exercise of the Powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) and in supersession of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);
(b) "The Board" means the National Khadi and Village Industries Board constituted under section 10 of the Act;
(c) "Chairman" means the Chairman of the Commission;
(d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 4 of the Act;
(e) "Financial Adviser" means the Financial Adviser appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 4 of the Act;
(f) "Government" means the Central Government;
(g) "Standing Finance Committee" means a committee constituted under section 19A of the Act;
(h) "Individual" means an artisan or any other worker undertaking activities falling under purview of the commission and for which grants and subsidies are given.

17. **Term of Office.**- (1) Save as hereinafter provided, a member of the Board, other than a member of the Commission shall hold office for such period not exceeding three years as may be specified in the notification of his appointment published in the Official Gazette and shall be eligible for re-appointment.

(2) The Government may remove from office any such member of the Board:

(a) if he is found to be a lunatic or a person of unsound mind; or

(b) if he has been adjudged insolvent; or

(c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(d) if, in the opinion of the Government, he has failed or is unable to carry out his duties, so as to render his removal necessary; or

(e) if he absents himself from three consecutive meetings of the Board without leave of the Board; or

(f) if he has any financial interest in any subsisting contract made with or in any work being done for the Commission except as shareholder (other than a Director or Managing Agent) in a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956;

Provided that where he is a shareholder, he will disclose to the Government the nature and extent of shares held by him in such a company.

18. **Casual Vacancies.**- (1) When any such member of the Board dies or resigns or is removed from office, the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to fill the vacancy.

(2) A member appointed under sub-rule (1) to fill a casual vacancy shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

19. **Membership roll.**- (1) The Chief Executive Officer shall keep or cause to be kept a record of the names of the members of the Board and their addresses.

(2) If a member of the Board changes his address, he shall notify his new address to the Chief Executive Officer who shall thereupon enter his new address, but if he fails to notify his new address, the address in the official record shall for all purposes be deemed to be the member's address.

20. **Resignation.**- A member of the Board other than a member of the Commission may resign his office by a letter addressed to the Government through the Chairman of the Commission who shall forward it to the government within ten days of its receipt. The office of such member shall fall vacant from the date on which his resignation is notified in the Official Gazette or on the date of expiry of twenty days from the date of receipt by the Government of the letter of resignation whichever is earlier.

21. Honorarium and Allowances.- (1) The members of the Board, other than members of the Commission, shall be paid such honoraria or allowances from the funds of the Commission as the Government may from time to time fix.

(2) Such members of the Board shall be entitled to draw from the funds of the Commission, travelling and daily allowances for journeys performed by them for the purpose of attending the meetings of the Board or for the purpose of discharging any functions of the Board assigned to them by the Board or the Commission from time to time, at the highest rate admissible to Grade I officers of the Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a member of the Board who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.

CHAPTER V

BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

22. Preparation and submission of annual estimates.- (1) The budget estimates of the Commission for every financial year beginning on the 1st day of April and ending on 31st day of March following shall be prepared or caused to be prepared by the Financial Adviser sufficiently in advance of the date fixed in sub-rule (4)in accordance with sub-rule (6).

(2) A copy of the budget estimates so prepared shall be sent to each member of the Commission at least fourteen days before the meeting of the Commission at which such estimates are to be considered.

(3) The Commission shall consider and approve, in consultation with the Financial Adviser, the budget estimates with such changes as it things fit at the meeting to which the consideration of the budget estimates fixed by a resolution of the Commission.

(4) The budget estimates as approved by the Commission shall be submitted to the Government by the 15th of October:

Provided that the Government may, on the request of and for sufficient reasons reported by the Commission, extend the date of submission of the budget estimates by such period not exceeding fifteen days as the Government may think fit.

Ministry of Law and Justice
Department of Legal Affairs
****

E.O. No. 347892/B/2019

Ministry of Micro, small and Medium Enterprises, has sought our advice of on the issue whether the election of three Members of Parliament, one from Lok Sabha and other from Rajya Sabha to the National Khadi and Village Industries Board is clear from from the angle of 'Office of Profit'.

2. The matter was earlier referred to this department and vide FTS No. 2431/Adv. B/2014 dated 09.09.2014, the administrative Ministry was requested to specifically mention the provision of the Acts and Rules regarding the salary, honorarium and allowances payable to the non-official Members. Clarification was also sought with respect to whether Members of the Houses are eligible to hold the 'Office of Profit' after becoming the Members of the Board including specific provision of the Acts/Rules.

3. It is now stated by the Department that Rule 21(3) of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 provides that "*Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a member of the Board who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959....*"

4. We have perused the matter and the comments of the administrative Ministry. Section 4 of the Act provides for the establishment and constitution of the Commission by the Central Government by a notification in the Official Gazette, which shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue and be sued. Section 15 of the Act specifies the functions of the Commission, which is to plan, promote, facilitate, organise and assist in the establishment and development of khadi and village industries in the rural areas in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary.

5. It is noted that the National Khadi and Village Industries Board is a statutory body established under section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (the Act) and is defined in section 2(a) of the Act as the Board constituted under section 10. Section 10 specifies that for the purpose of assisting the Commission in the discharge of its functions under this Act, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Board to be called the National Khadi and Village Industries Board consisting of a Chairman and such number of other members as the Central Government think fit, chosen from among persons who, in the opinion of the Central Government, are qualified as having had experience, and shown capacity, in matters relating to the development of khadi and village industries. As per section 11 of the Act, the Commission shall ordinarily consult the Board with respect to the discharge of its functions under this Act.

6. Section 26 empowers the Central Government to make rules to give effect to the provisions of the Act by a notification in the Official Gazette, inter-alia including for the transaction of business at the meetings of the Board under section 10(2), the procedure to be followed in removing a member who is or becomes subject to any disqualification, the term of office and other conditions of service of, the procedure to be followed in the discharge of functions by, and the manner of filling casual vacancies among members of the Board. The Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 have been made in exercise of powers conferred by section 26 of the Act. Rules 15 of the Rules provides for the Board and its constitution and specifies that the Board shall consist *inter-alia*, three Members of Parliament, one from Lok Sabha and other from Rajya Sabha. As per Rule 17, a member of the Board, other than a member of the Commission shall hold office for such period not

exceeding three years as may be specified in the notification of his appointment published in the Official Gazette and shall be eligible for re-appointment. The Government may remove from office any such member of the Board for the contingencies specified in Rule 17(2).

7. Rules 21 of the Rules provides for the Honorarium and Allowances payable to the Members of the Board and reads as under:

> (1) The members of the Board, other than members of the Commission, shall be paid such honoraria or allowances from the funds of the Commission as the Government may from time to time fix.
> (2) Such members of the Board shall be entitled to draw from the funds of the Commission, travelling and daily allowances for journeys performed by them for the purpose of attending the meetings of the Board or for the purpose of discharging any functions of the Board assigned to them by the Board or the Commission from time to time, at the highest rate admissible to Grade I officers of the Government.
> (3) **Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a member of the Board who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.**

8. It is noted that Rule 6 of the Rules provides for the salary or Honorarium and Allowances payable to Members of the Commission, which is on similar lines as the allowances payable to those payable to the Members of the Board except as per Rule 6(3), which specifies that the Chairman shall be entitled to a rent-free furnished residence at Mumbai or such other place where the office of the Commission may be located. Pertinently, Rule 6(4) provides that *'Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3) above, the Chairman or any other member of the Commission (excluding the ex-officio members), who is a member of Parliament or of the State Legislature, shall not be entitled to any remuneration other than the allowances as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.*

9. Article 102(1) of the Constitution of India, provides that a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder. The essential ingredients for attracting the said article are that there must be an office, such office must be an office of 'profit', it must be under the Government of India or the Government of a State, such office must not be excluded from the operation of this sub-clause by a law made by Parliament. To decide the issue, it is imperative to examine the nature of Government control, functions of the Board and the allowances receivable by the Member.

10. Attention is also drawn to the case of *Shivamurthy Swami Inamdar v. Agadi Sanganna Andanappa*, (1971) 3 SCC 870, wherein the Apex Court analyzed the ingredients of Article 102(1)(*a*) and held as under:

> *"That Article says that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder. Therefore before the provisions of that Article can be attracted, it must be established that he was holding an office under the Union or the State Government and that office was an office of profit and thereafter we must see whether the disqualification relating to that office has been removed by any Parliamentary legislation. In other words, the office in question must have been held under a Government and to that some pay, salary*

emoluments or allowance is attached." The word 'profit' connotes idea of pecuniary gain. If there is really a gain, its quantum or amount would not be material; but the amount of money receivable by a person in connection with the office he holds may be material in deciding whether the office really carries any profit.'

The Court also reiterated the tests laid down in several decisions for finding out whether an office in question is an office under a Government and whether it is an office of profit. *"Those tests are: (1) Whether the Government makes the appointment; (2) Whether the Government has the right to remove or dismiss the holder; (3) Whether the Government pays the remuneration; (4) What are the functions of the holder? Does he perform them for the Government and (5) Does the Government exercise any control over the performance of those functions? "*

11. In the recent case of *U.C. Raman v. P.T.A. Rahim*, (2014) 8 SCC 934, the Court has extracted the relevant para of the judgment in the case of *Jaya Bachchan case* [(2006) 5 SCC 266] as under and reiterated the principles laid therein:

"An office of profit is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. Holding an office under the Central or State Government, to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached, is 'holding an office of profit'. The question whether a person holds an office of profit is required to be interpreted in a realistic manner. Nature of the payment must be considered as a matter of substance rather than of form. Nomenclature is not important. In fact, mere use of the word 'honorarium' cannot take the payment out of the purview of profit, if there is pecuniary gain for the recipient. Payment of honorarium, in addition to daily allowances in the nature of compensatory allowances, rent free accommodation and chauffeur driven car at State expense, are clearly in the nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence constitute profit. For deciding the question as to whether one is holding an office of profit or not, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. If the 'pecuniary gain' is 'receivable' in connection with the office then it becomes an office of profit, irrespective of whether such pecuniary gain is actually received or not. If the office carries with it, or entitles the holder to, any pecuniary gain other than reimbursement of out-of-pocket/actual expenses, then the office will be an office of profit for the purpose of Article 102(1)(a). This position of law stands settled for over half a century commencing from the decisions of Ravanna Subanna v. G.S. Kaggeerappa [AIR 1954 SC 653], Shivamurthy Swami Inamdar v. Agadi Sanganna Andanappa [(1971) 3 SCC 870], Satrucharla Chandrasekhar Raju v. Vyricherla Pradeep Kumar Dev [(1992) 4 SCC 404] and Shibu Soren v. Dayanand Sahay [(2001) 7 SCC 425]."

12. The Court, in the said case, negated the plea that the word "profit" should include even status and influence, etc. besides the pecuniary profits and reiterated that an "office of profit" is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain only and the same includes the pecuniary gain not only received but also "receivable" in connection with the office. As in the said case amount was only compensatory in nature by way of TA and daily allowances, the same was held to not amount to remuneration in the form of pay, salary, emoluments, remuneration, commission or anything of such nature.

13. In the present matter, the National Khadi and Village Industries Board is a Statutory Body established as per section 10 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. Functions of the Board are as per section 11 the Act. The Board has a fixed composition and as per Rule 17, the term of the Member of the Board, other than a Member of the Commission is for such period not exceeding three years and is eligible for re-appointment. Though in the composition of the Commission as per section 4 of the Act, it is not specifically provided that Members of Parliament are to be part of the Commission, however, from a conjoint reading of the said section and Rule 6(4) of the Rules providing for the salary or Honorarium and Allowances payable to Members of the Commission, it can be inferred that the

Chairman or any other member of the Commission, may be a member of the Parliament or of the State Legislature and in the said case also, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

14. Though, the Member of the Parliament may be the Chairman or Member of the Commission and exercise functions like implementation of the Act, granting financial assistance and making disbursement of funds, which appear to be executive functions performed on behalf of the Government and thus appears to be holding an 'office', yet with respect to the issue of allowance and 'office of profit', it is categorically provided in Rule 6(4) of the Rules that they will not be entitled to either a rent free accommodation or any remuneration other than compensatory allowance as defined in section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. It may be pointed out that the Department has not furnished any other information with respect to the pecuniary benefits or facilities provided to the Members of the Parliament as member of the Board, except to draw attention to proviso of Rule 21(3) of the of the Rules. Thus, even though the Members of Parliament may be holding an 'office' in the present case, as the allowances payable to a member of the Board or of the Commission are only those permissible to the Members of Parliament as per section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, in absence of any other information with respect to facilities provided to such Members, the ingredient of 'profit' or 'pecuniary gain' appears to be absent in the present case.

15. Further, in pursuance of the Article 102 of the Constitution, parliament enacted the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, exempting certain offices of profit from incurring disqualification for being chosen as, or from being a Member of Parliament. As per section 3(i) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, the office of Chairman, Director or Member of any statutory or non-statutory body other than body covered under clause (h), is not disqualified from being a Member of Parliament, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance. However, it may be mentioned that recourse to the said section may not be needed as the 'office' in the present case does not appear to be an office of profit.

16. In view of the above, on the basis of the information furnished by the administrative Ministry that the Members being entitled to only permissible compensatory allowances, we are of the view that the election of Members of Parliament to National Khadi and Village Industries Board may not be considered as an 'office of profit' and may not incur disqualification in terms of Article 102(1) (a) of the Constitution of India.

May kindly see.

(Arti Chopra)
Deputy Legal Adviser
29.01.2020

Additional Secretary (Sh. S.R. Mishra)
4.2.2020

L.S.

Law Secretary
13.2.2020

Dy. No. 347892
13/02/2020

अनुलग्नक - VI

Most Immediate

No.17 (4)/2020 - Leg.III
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
***

New Delhi, the 14th October, 2020

Office Memorandum

Subject: - Election of a Member of Rajya Sabha to the National Khadi and Village Industries Board (NKVIB) – Office of Profit – reg.

The undersigned is directed to refer to the Lok Sabha Secretariat, Committee Branch –II, Joint Committee on Offices of Profit, Office Memorandum No. 21/14/4/2020/C-II, dated the 30th September, 2020 forwarding therewith copy of papers received from Rajya Sabha Secretariat on the subject cited above requesting for examination as to whether the membership of Member Parliament to the National Khadi and Village Industries Board would entail disqualification from the angle of "Office of Profit".

2. On examination of the papers received from the Lok Sabha Secretariat, it is seen that the Department of Legal Affairs had earlier examined the matter and opined as follows:–

> *"16. In view of the above, on the basis of the information furnished by the administrative Ministry that the Members being entitled to only permissible compensatory allowances, we are of the view that election of the Members of Parliament to National Khadi and Village Industries Board may not be considered as an 'office of profit' and may not incur disqualification in terms of Article 102 (1) (a) of the Constitution of India."*

3. The matter has been examined in this Department also. On examination of the papers and Proforma submitted by the administrative Ministry to Lok Sabha Secretariat, against serial number 9, regading the questions as to whether the Members of Parliament are entitled for honorarium, travelling allowance, daily allowance and any other allowances perquisite, facilities etc., the administrative Ministry has stated that the Members of Parliament nominated to the National Khadi and Village Industries Board shall not be entitled to any remuneration other than the compensatory allowance as defined in clause *(a)* of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (Act, 1959). Further with regard to the functions of the Board, against serial number 9, it is stated that the Board is to assist the Commission in discahrge of functions under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (Act, 1956).

4. On examination of the Act, 1956, it is seen that section 11 provides that the Commission shall ordinarily consult the Board with respect to the discharge of its functions under this Act.

Further, as per sub-rule *(4)* of rule 6 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, Member of Parliament is not entitled to any remuneration other than the allowances as defined in clause *(a)* of section 2 of the Act, 1959.

5. Thus, on examination of the papers made available by the Lok Sabha Secretariat to this Department and as per the extant provisions of the Act, 1956 and rules mades thereunder, a Member of Parliament nominated to the National Khadi and Village Industries Board is not entitled to get any remuneration other than the allowances as defined in clause *(a)* of section 2 of the Act, 1959.

6. In view of the above, this Department is in agreement with the opinion tendered by the Department of Legal Affairs that a Member of Parliament being nominated to the National Khadi and Village Industries Board may not incur disqualification in terms of sub-cluase *(a)* of clause *(1)* of article 102 of the Constitution.

7. This issues with the approval of Secretary, Legislative Department.

(Vinay Kumar Mishra)
Deputy Legislative Counsel
Tel. No. : 23384065
FAX No. 23382733

Lok Sabha Secretariat (Committee Branch – II),
(Joint Committee on Offices of Profit)
[Kind Attn. Shri. Kusal Sarkar, Director]
Parliament Annexe,
New Delhi – 110 001.

गोपनीय

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की गुरुवार, 19 नवम्बर, 2020 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक गुरुवार, 19 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

डॉ.सत्यपाल सिंह - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार हांसदाक
3. श्री तेजस्वी सूर्या

राज्य सभा

4. डॉ. सष्मित पात्रा
5. श्री वि. विजयसाई रेड्डी

सचिवालय

1. श्रीमती बी. विशाला - निदेशक
2. श्री आर.के. चौधरी - अवर सचिव

प्रतिनिधियों की सूची

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेंहदीरत्ता - सचिव
2. श्री एस.आर. मिश्रा - अपर सचिव
3. डॉ. राजीव मणि - संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. डॉ. जी. नारायण राजू - सचिव
2. श्री विनय कुमार मिश्रा - उप विधायी सलाहकार

2. पहले तो, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में बताया ।

3. XX XX XX XX

4. XX XX XX XX

5. XX XX XX XX

6. उसके बाद, समिति ने राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (एनकेवीआईबी) के लिए राज्य सभा सदस्य के चुनाव के संबंध में प्रारूप ज्ञापन सं. 6 पर विचारण से संबंधित अंतिम कार्यसूची को अपने विचारार्थ ले लिया है। विधायी विभाग के सचिव ने समिति को यह बताया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए 1956 में अधिनियमित किया गया था। बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए की जाती है। नियम 21 (3) में यह स्पष्ट कहा गया है कि बोर्ड के सदस्य संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत उल्लिखित प्रतिकर भत्ता से अधिक भत्ते के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने यह भी बताया है कि यद्यपि बोर्ड के सदस्यों का केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिये मनोनयन किया जाता है और इसे पद माना जाता है, किंतु इस पद में कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। पदधारकों को जो भी राशि प्राप्त होती है वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत यथा परिभाषित प्रतिकर भत्ते की अनुमत्य सीमाओं के भीतर होती है। चूंकि कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है और इस पद से कोई लाभ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह पद संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त, निरर्हता निवारण अधिनियम की धारा 3(ज) के तहत इस पद को छूट प्राप्त है क्योंकि अनुच्छेद 102 के अंतर्गत यथा अपेक्षित आर्थिक लाभ इसके साथ संबद्ध नहीं है इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत निरर्हित नहीं माना जाएगा।

7. माननीय सभापति महोदय ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या इस अधिनियम के तहत इस पद को स्पष्ट रूप से छूट प्रदान की गई है। इस पर सचिव ने यह उत्तर दिया है कि इसमें बोर्ड का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु इस अधिनियम के अभिप्राय से ऐसा मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसे आर्थिक लाभ अथवा संभावित आर्थिक लाभ के मानकों पर रखा गया है कि क्या यह निरर्हता के मानकों के अंतर्गत आता है या नहीं। सचिव ने इस मामले

में इसकी प्रयोज्यता के बारे में बतलाने के लिए 1959 की इस अधिनियम की धारा 3(ज) और (झ) को भी पढ़ा है।

यह पूछे जाने पर कि क्या अपेक्षित मानदंड खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के अनुरूप है, तो सचिव ने यह बताया है कि इस अधिनियम के उपबंधों को इन नियमों के साथ लिया गया है जिन्हें विस्तृत और व्यापक मत सौंपने के लिए इसके अंतर्गत तैयार किया गया है।

8. समिति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्ट विचारों पर अपना संतोष प्रकट किया और प्रारूप ज्ञापन संख्या 6 को अनुमोदित कर दिया है।

XX XX XX XX

9. समिति की इस बैठक की शब्दश: कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है। तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट-दो

गोपनीय

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 15 मार्च, 2021 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक सोमवार, 15 मार्च, 2021 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा सं. '3', प्रथम तल, ब्लॉक 'ए', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

डॉ.सत्यपाल सिंह - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार हांसदाक
3. डॉ. मनोज राजोरिया
4. श्रीमती अपराजिता सारंगी
5. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी

राज्य सभा

6. डॉ. सष्मित पात्रा
7. श्री महेश पोद्दार
8. श्री हरद्वार दुबे

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री राज कुमार चौधरी - अवर सचिव

2. पहले तो, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और फिर उन्होंने उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में बताया।

3. उसके बाद, समिति ने (एक) राजस्थान राज्य की जिला आयोजना समितियों में संसद सदस्यों के मनोनयन से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन; और (दो) राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (एनकेवीआईबी) में राज्य सभा सदस्य के चयन से संबंधित दूसरे प्रतिवेदन पर विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लिया है।

4. समिति ने बिना किसी संशोधन के इन प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लिया है।

5. XX XX XX XX XX

6. XX XX XX XX XX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX इस प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है